तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **भवानी सिंह बनाम कालूराम मीना** **222 / 2019 (जीसीएमएस नं. 2019 / 00171)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील म जारी हुए
01.09.21	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत विड्रो किये जाने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि उपरोक्त उनवानी अपील में अपीलान्ट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जोन–12 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के आदेश दिनांक 06.11.2018 को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की है तथा उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य आपसी सहमति से हुये राजीनामें के मद्देनजर अपीलान्ट द्वारा अपने सिविल न्यायालय का वाद विड्रा कर विक्रय पत्र को सही होना स्वीकार कर लिया है एवं उसी क्रम में अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश के विरूद्व भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही चाहता है व अपनी अपील को विड्रो कर खारिज करवाना चाहता है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्ट की अपील को विड्रो कर निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने भी अपील अपीलान्ट विड्रो के आधार पर खारिज करने हेतु अपनी सहमति दी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि उभयपक्ष के मध्य आपसी सहमति से हुये राजीनामें के आधार पर अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को विड्रो कर खारिज करवाना चाह रहा है तो ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	